राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141–2707679,ई–मेलः–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांकः प. ( )रा.मु./2018–19/235 दिनांकः –6/04/2018

महोदय/महोदया,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयुपर के वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2018–2019 के अनुसार, राजस्थान से बाहर ग्रीष्मकालीन साहसिक शिविर का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है –

1. **गतिविधि का नाम** – **रोवर/रेंजर साहसिक शिविर।**
2. **स्थान** – काठगोदाम। विस्तृत सूचना अन्तिम सूचना पत्र में प्रेषित की जावेगी।
3. **तिथिया** – **दिनांक 24.05.2018 से 28.05.2018 तक।**
4. **शुल्क** –
   1. पंजीकरण शुल्क – 600 रूपये प्रति सम्भागी
   2. शिविर शुल्क – 1000 रूपये प्रति सम्भागी
   3. भ्रमण शुल्क – 1000 रूपय प्रति सम्भागी

   योग – 2600 रूपये प्रति सम्भागी होगा।

9. **योग्यता** –
   1. पंजीकृत रोवर क्रू/रेंजर टीम के सदस्य हो।
   2. निपुण बैज उर्त्तीण हो।
   3. क्रू/टीम की 100% कोटामनी एवं उद्योग पर्व की राशि जमा हो।
   4. ग्रुप द्वारा आयोजित वार्षिक शिविर में भाग लिया हो।
   5. कम से कम 2 मण्डल/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय शिविरो में सहभागिता की हो।
   6. जो पूर्ण स्वस्थ हो तथा शिविर के श्रम को वहन करने की क्षमता रखता हो।

7. **आंविटत संख्या** – प्रति जिला 3 रोवर एवं 2 रेंजर की संख्या निर्धारित की जाती है। इससे अधिक संख्या में सम्भागी स्वीकार नहीं किये जा सकेगें।

8. **आवश्यक सामग्री** – सभी सम्भागियों के लिए पूर्ण एवं सही स्काउट/गाइड पोशाक, बदलने के कपडे, मौसम के अनुसार बिस्तर, खाने–पीने के बर्तन, पानी की बोतल, टार्च, सुई धागा, ग्राउण्ड शीट, हेवर सेक, छाता, साधारण मेडिकल किट एवं अन्य आवश्यकता की सामग्री साथा लाना आवश्यक है। शिविर में भ्रमण के दौरान भोजन के लिए सभी सम्भागियों को अपने साथ लंच बॉक्स(टिफिन) साथ लाना अनिवार्य है।

9. **यात्रा व्यय** – यात्रा व्यय का भुगतान सम्बन्धित विद्यालय / महाविद्यालय / स्वयं द्वारा देय होगा।

10. **आवेदन पत्र** – सभी सम्भागियों को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण शुल्क सहित अपना आवेदन पत्र दिनांक 25 अप्रेल, 2018 तक मण्डल मुख्यालय के माध्यम से राज्य मुख्यालय पर प्राप्त होना आवश्यक है। **देरी से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।**

11. **चयन प्रक्रिया** – जिला एवं मण्डल मुख्यालय की अनुशंषा पर प्राप्त आवेदन पत्रो पर राज्य मुख्यालय द्वारा तैयार मेरिट के आधार पर चयन किया जाकर इसकी अन्तिम सूचना सम्बन्धित मण्डल एवं जिला मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

12. **विशेष** – चयनित सम्भागियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य रोवर / रेंजर को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। प्रति 06 रेंजर्स के साथ 01 प्रशिक्षित रेंजर लीडर की व्यवस्था सम्बन्धित मण्डल द्वारा की जावेगी।

– **इस कार्यक्रम में किसी भी रोवर लीडर को स्वीकार नही किया जावेगा।**

राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट)

क्रमांकः प. ( )रा.मु. / 2018–19 / 236–242 **दिनांकः –** 6 **/ 04 / 2018**

प्रतिलिपि –आवश्यक सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
2. आयुक्त महोदय, कॉलेज शिक्षा, निदेशालय शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) समस्त।
5. सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्का. / गा.), समस्त।
6. सर्कल ओर्गेनाइजर(स्का. / गा.) समस्त।
7. लेखाकार, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
8. संस्था प्रधान / रोवरलीडर..

राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट)